

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2

Mail ID-rwdeedbg2@gmail.com

पत्रांक 1079./

दिनांक 13/06/2024

प्रेषक,

ई0 अवधेश कुमार
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2

सेवा में,

Shiv Kumar,
Vill-Pawara, P.O-Agra,
P.S-Baheri, Dist-Darbhanga.
Pin-7105

विषय:-

शीर्ष MMGSY योजना अन्तर्गत Laho Chaupal Tola to Yadav Tola तक पथ निर्माण कार्य में पंचवर्षीय
अनुरक्षण कार्य के संबंध में।

प्रसंग:-

एकरारनामा संख्या- 52/SBD/18-19 दिनांक- 25.01.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित पथ का एकरारनामा आपके द्वारा
एकरारनामा संख्या-52/SBD/18-19 दिनांक- 25.01.2019 को विधिवत किया गया एवं पथ का मूल कार्य दिनांक-30.06.2021 को
पूर्ण किया गया है। आप अच्छी तरह अवगत है कि पूर्ण किये गये पथ का पाँच वर्षीय अनुरक्षण कार्य कारना एकरारनामा का भाग
है। अनुरक्षण कार्य करने हेतु बार-बार मौखिक रूप से एवं मोबाईल द्वारा भी निर्देशित किया जाता रहा है, परन्तु अद्यतन आपके
द्वारा अनुरक्षण कार्य गुणवत्तापूर्वक नहीं किया गया है, जो कि एकरारनामा की शर्तों के विरुद्ध आचरण है। ज्ञातव्य हो कि उक्त पथ
का अनुरक्षण की जाँच कनीय अभियंता, मनीगाछी द्वारा भी BRRMS App से दिनांक-23.11.2023 को किया गया, जिसमें SRI
ग्रेडिंग प्रदान की गई। इसके बाद सहायक अभियंता, मनीगाछी द्वारा भी BRRMS App से दिनांक-17.12.2023 को किया गया,
जिसमें SRI ग्रेडिंग प्रदान की गई। जिसकी सूचना BRRMS App के द्वारा आपके रजिस्टर्ड मोबाईल नं0 एवं रजिस्टर्ड ई-मेल
आईडी0 पर दिया गया है। फिर भी आपके द्वारा उक्त पथ में कोई सुधार नहीं किया गया है। तदुपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी
दिनांक-12.06.2024 को BRRMS App के द्वारा निरीक्षण किया गया जिसमें SRI ग्रेडिंग प्रदान की गई। गुणवत्तापूर्वक पंचवर्षीय
अनुरक्षण कार्य नहीं करने के कारण त्रुटियाँ निम्न प्रकार से हैं :-

(1) पथ के फ्लैक में जंगल-झाड़ी, की सफाई नहीं होना।

अतः आपको शक्ति निर्देश दिया जाता है कि उक्त पथ में वर्णित त्रुटियों को यथाशीघ्र 15 दिनों के अन्दर सुधार
करते हुए अनुरक्षण कार्य गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे, एवं अधोहस्ताक्षरी को भी सूचित करेंगे। अन्यथा SBD के Clause
of Contract की कंडिका-3 अन्तर्गत उप कंडिका-(iv) के तहत एकरारनामा को विखंडित करते हुए कालीकृत करने हेतु उच्चाधिकारी
को अनुशांसा कर दी जायेगी साथ ही आपके विरुद्ध और भी दंडात्मक कार्रवाई अलग से की जायेगी। जिसके लिए पूर्ण रूप से
जिम्मेवार आप स्वयं होंगे।

Ravi
13-06-24
JE

ज्ञापांक 1079./ दिनांक 13/06/2024

प्रतिलिपि:-अधीक्षक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा/ नोडल पदाधिकारी BRRMS ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार,
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

Ravi
13-06-24
JE

विश्वासभाजन

13/06/24

कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2

13/06/24

कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2